।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.)।।

(Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-dcf.kota.forest@gmail.com)

क्रमांकः–एफ ( )उवसं/तक./ 2018/ 2826 दिनांकः 2/4/18

निमित्तः–

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

कोटा।

Sub: - LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI UPAJ MANDI SAMITI

Ref :- आपका पत्र क्रमांक एफ 13(वन संरक्षण)समुवसं/2018/1901 दिनांक 26.02.2018.

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि, कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा एन.एच.–76 बाईपास तक विस्तार हेतु प्रस्तावित की गई 96 हैक्टयर वनभूमि के प्रस्ताव में लगाये गये बिन्दुवार प्रति उत्तर निम्नानुसार है।

01. बिन्दु संख्या 1 के आक्षेप के क्रम में निवेदन है कि, अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर के द्वारा दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक एफ ( )उवसं/तक./2015–16/9317–18 दिनांक 25.08.2015 लिखा गया था। तब तक वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ था।

भामाशाह मण्डी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विस्तृत अध्ययन किया गया। मेटिगेटिव मेजर्स के अन्तर्गत 4000 पौधे लगाये गये है। परन्तु जहॉ पौधे लगाये गये है। वह वनभूमि भामाशाह मण्डी विस्तार हेतु प्रस्तावित नही की गई है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया की उक्त स्थल एन.एच. 76 ईस्ट वेस्ट कोरिडोर के निर्माण में एफ.सी.ए. के अन्तर्गत दी गई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्ता में शर्त सं. 5 के अनुसार इस क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना था। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक F NO-8-3/2006-FC दिनांक 06.07.2017 में आवश्यक संसोधित स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उक्त वनभूमि प्रत्यावर्तन किया जाना उचित होगा।

निवेदन है कि, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार से पूर्व में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एन0एच0 76 ईस्ट वेस्ट कोरिडोर निर्माण हेतु शर्त सं. 5 में संसोधन होने पर ही कृषि उपज मण्डी विस्तार हेतु उक्त वनभूमि दिये जाने की अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुशंषा की है।

02. वन संरक्षक पूर्वोवृत्त कोटा कें पत्रांक एफ/93 (ए)78/स्टोनो/उवसं/5654 दिनांक 10.07.1996 जिसमें रीको द्वारा 47 हैक्टयर वनक्षेत्र में अतिक्रमण किये जाने पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश इस कार्यालय को दिये गये थे। इस कार्यालय में पृथक से उक्त अतिक्रमण के संबंध में कोई पत्रावली संधारित नही हुई है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा से इस संबंध में जानकारी चाही जाने पर उनके द्वारा दिये गये पत्रांक 1691 दिनांक 23.03.2018 से अवगत कराया गया कि, उक्त वनभूमि पर अतिक्रमण के संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा द्वारा विभागीय एफ.आई.आर. 56–09 दिनांक 19.09.1996 दर्ज की गई थी। परंतु इस एफ.आई.आर. में आगे क्या कार्यवाही की गई उसका रेकोर्ड उन्हें रेंज कार्यालय के रेकोर्ड में उपलब्ध नही हुआ है।

भामाशाह मण्डी कृषि विस्तार हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में 74 हैक्टयर प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा साईड का निरीक्षण करने एवं रिकोर्ड देखने पर पाया गया कि, वर्तमान में स्थापित कृषि उपज मण्डी में 22 हैक्टयर वनभूमि पूर्व से ही सम्मिलित है। प्रयोक्ता अभिकरण को पुनः अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वर्तमान में कृषि उपज मण्डी में स्थित वनभूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु दिनांक 14.08.2017 को इस कार्यालय द्वारा EDS जारी किया गया। तद्उपरांत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके कब्जे की भूमि 22 हेक्टयर को 74 हैक्टयर में सम्मिलित करते हुये 96 हैक्टयर वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव दिनांक 16.01.2018 को प्रस्तुत किये गये। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौके की स्थिति व रेकोर्ड के अनुसार उक्त प्रस्ताव 4 प्रतियां में विभागीय औपचारिकता को पूर्ण करते हुये अग्रेषित किये गये थे।

अतः मूल प्रस्ताव 4 सेट आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

संलग्न–मूल प्रस्ताव 4 प्रतियां

भवदीय

(एल.एस.राणावत)
उप वन संरक्षक
कोटा